पत्रांक– 11 न0वि0 अभि0(को0) 168/2016 1130 न0वि0 एवं आ0वि0

बिहार सरकार

नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
जिला शहरी विकास अभिकरण,
पं0 चम्पारण, बेतिया।

कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद, बेतिया।

पटना, दिनांक–10/9/18

विषयः– ई–टेन्डरिंग पद्धति द्वारा बेतिया नगर परिषद अन्तर्गत निविदा आमंत्रण सूचना सं0–02/2018–19 के ग्रुप सं0–01 के कार्य सम्राट अशोक भवन का निर्माण कार्य के निविदा के सम्बन्ध में।

प्रसंगः– कार्यपालक अभियंता, डुडा, पं0चम्पारण, बेतिया का पत्रांक–122 दिनांक–21.08.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा तकनीकी बिड की तुलनात्मक विवरणी एवं प्राप्त एकल निविदाकार के डाउनलोडेड निविदा कागजात, निविदा निष्पादन हेतु समर्पित किया गया है।

विषयांकित योजना हेतु पूर्व की निविदा में एकल निविदाकार द्वारा ही निविदा दिया गया था तथा उनकी निविदा मान्य थी। तदोपरान्त पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं0–3162(S) दिनांक–09.05.2016 के आलोक में निविदा रद्द किया गया था।

वर्त्तमान की निविदा में भी एकल निविदाकार आदित्य सुपर एग्रीकॉन प्रा0लि0 (प्रो0–बृजेश कुमार) द्वारा ही निविदा दिया गया है, परन्तु मूल्यांकण के उपरान्त उनका भुगतान प्रमाण वांछित 3 वर्षो से पूर्व का रहने के कारण इनकी निविदा (कंडिका 24 का अनुपालन नहीं करने के कारण) अमान्य पायी गयी है।

तदनुसार एकल निविदाकार की निविदा अमान्य हो जाने के कारण विषयांकित ग्रुप की निविदा को रद्द किया जाता है एवं पुनः व्यापक प्रचार–प्रसार के साथ पुनर्निविदा आमंत्रित किया जाय।

विषयांकित ग्रुप की निविदा अभिलेख मूल में लौटाया जा रहा है।

विश्वासभाजन

अनु0ः–यथोक्त।

मुख्य अभियंता,
नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

E:\N K File 2014\Betiah\Betiah Letter.docx